निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 58 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के माह 09/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 05/10/2018 से 15/10/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी0के0 श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो तथा श्री गौरव रावत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.09.2017 से 07.10.2017 तक में श्री जगमोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2014 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2017 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** गंगोत्री एवं यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई नहर निर्माण/रखरखाव एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	187.42	621.44	523.87	2292.72	2413.91	-	95.96
2016-17	-	95.96	543.52	528.41	2630.32	2538.46	-	61.93
2017-18	-	61.93	591.23	585.92	8938.85	8872.38	-	60.93
2018-19 (up to 09/2018)	-	60.93	446.28	273.50	615.86	641.99	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2015-16	CSSR	-	5722.29	5721.65		
2016-17	CSSR	-	668.85	668.85		
2017-18	CSSR	-	7003.26	7003.16		
	Namami gange	-	535.00	505.48		
2018-19 (up to 09/2018)	Namami gange	-	1167.08	410.56		

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'ए'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

--प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

--मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून (स्तर-2),

-- अधीक्षण अभियन्ता , सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी,

--अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

(iv)**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

विकास खण्ड डुण्डा में जलकुर नदी के दोनो ओर आबादी एवं कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक ..... शून्य ..... का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2018 तथा 12/2017 तक की गई।

4. फार्म-51: माह 08/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम ₹(-) 774634.00

भाग द्वितीय ₹ 346459.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹181489.00

(ख) सामग्री क्रय -- शून्य --

(ग) नगद परिशोधन -- शून्य --

(घ) निक्षेप ₹7432864.00

(ङ) भण्डार ₹337414.00

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर-1 कार्य पर धनराशि रू0 101.97 लाख का व्यय व्यावर्तित कर भारित किया जाना तथा आबंटन के सापेक्ष निष्पादित कार्य हेतु रू0 281.62 लाख की देनदारी का सृजन किया जाना।

नाबार्ड के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा विकासखण्ड में जलकुर नदी के दोनों किनारों पर आबादी एवं कृषिभूमि की सुरक्षा कार्य की बाढ़ सुरक्षा योजना की स्वीकृति नाबार्ड के पत्रांक :-NBSPD/3116/RIDF-XXI(Uttarakhand)/ 153 PSC-15-12-2015/2015-16, दिनांक 22-12-2015 द्वारा रू0 1345.19 लाख की प्रदान की गई। इस योजना की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 102/सा0/।।-2015-04(05)/ 2015, दिनांक 23.02.2016 को दी गई। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पत्रांक : 2019/मु0अ0/गढ़वाल/ ई-33 (प्राक्कलन) दिनांक 30-03-2016 के माध्यम से लागत रू0 1345.19 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य को टुकड़ों में बाटतें हुए (Spliting of work) कुल 174 अनुबन्ध गठित किये गये, जिसमें से 03 अनुबन्ध अधीक्षण अभियन्ता स्तर, 04 अनुबंध अधिशासी अभियन्ता स्तर के तथा 167 अनुबन्ध सहायक अभियन्ता स्तर के थे।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जांच (10/2018) में पाया गया कि कार्य पर मासिक प्रगति आख्या तथा फार्म-64 के अनुसार माह 08/2018 तक कुल रू0 1237.87 लाख का व्यय भारित किया गया था, जबकि उक्त अवधि तक भुगतान बाउचर के अनुसार कुल रू0 1135.90 लाख का व्यय किया गया था, इस प्रकार उक्त में अन्तर की धनराशि रू0 101.97 लाख का व्यय व्यावर्तित कर कार्य पर भारित किया गया था।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि कार्य के अनुबन्ध संख्या : 27/एस0ई0/2015-16 कार्य प्रारम्भ की तिथि 26.03.2016, कार्य समाप्ति की तिथि 25.07.2016 एवं अनुबन्धित लागत रू0 15509650.00 थी, के सापेक्ष मात्र रू0 9600000.00 का भुगतान किया गया था, जबकि उक्त अनुबन्ध के सापेक्ष धनराशि रू0 15562537.00 की लागत का कार्य निष्पादित किया गया था इस प्रकार उक्त अनुबन्ध के सापेक्ष ठेकेदार को भुगतान नही कर रू0 59.63 लाख की देनदारी लम्बित थी तथा उक्त कार्य के कई

अनुबन्धों के सापेक्ष भुगतान शून्य प्रदर्शित हो रहा था जबकि कार्य निष्पादित किया जा चुका था। इस प्रकार निष्पादित कार्य हेतु कुल रू0 281.62 लाख की देनदारी लम्बित थी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि त्रुटिवश खर्च बुक हो गया जिसको TEO द्वारा वास्तविक लेखा शीर्षक में समायोजित कर दिया जायेगा तथा कार्य पर लम्बित देनदारी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि आबंटन उपलब्ध न होने के कारण भुगतान किया जाना अवशेष है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि कार्य पर व्यय व्यावर्तित कर भारित किया गया था क्योकि फार्म-64 में भुगतान बाउचर से रू0 101.97 लाख अधिक व्यय प्रदर्शित हो रहा था तथा कई अनुबन्धों के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी भुगतान नही होने से देनदारी लम्बित थी।

अतः कार्य पर धनराशि रू0 101.97 लाख का व्यय व्यावर्तित कर भारित किया जाना तथा आबंटन के सापेक्ष निष्पादित कार्य हेतु ` 281.62 लाख की देनदारी का सृजन किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:2 - ए0आई0वी0पी0 के अंतर्गत ` 19.58 लाख का निरर्थक व्यय।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, उत्तरकाशी के ए0आई0वी0पी0 के अंतर्गत जिला उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ विकास खंड के छोटी मणि मे नहरों के नव निर्माण के प्राक्कलन की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-3859/II-2014-04(04)/2011 दिनांक-24.01.2014 के द्वारा `45.89 लाख की दी गयी थी मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष (बजट अनुभाग) के पत्रांक सं0 477/मु0अ0वि0/बजट/बी-1/आवंटन दिनांक-05.02.2014 द्वारा राज्याश के रूप मे आवंटित धनराशि `45.89 लाख प्रदान की गयी हैं। खंड के मार्च 2018 के मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार उक्त योजना की वित्तीय प्रगति `19.58 लाख थी जबकि फार्म-64 के अनुसार कार्य की वित्तीय प्रगति `15.27 लाख थी। प्राक्कलन मे निम्न मदों का प्राविधान किया गया था-

1. नहर/गुल एवं सुरक्षा दीवार की नींव खुदान का कार्य
2. नहर/गुल के बेड एवं पेरापीट मे सी0सी0 1:2:4 का कार्य
3. नहर/गुल की सुरक्षा दीवार का निर्माण आर0आर0 ड्राई एवं 1:6 सीमेंट चिनाई के साथ।
4. सुरक्षा दीवार मे 1:3 मसाले के साथ प्वानिटिंग का कार्य
5. नहर/गुल के हेड पर आर0आर0 ड्राई कुली वालिग का कार्य।

कार्यालय मुख्य अभियंता (गढ़वाल) सिंचाई विभाग, उत्तराखंड देहारादून के पत्रांक संख्या-3238/मु0अ0/ गढ़वाल दिनांक-23 मई 2016 द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिन योजनाओं पर कार्य पूर्ण नही हुआ हैं उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए PMKSY मे सम्मिलित करते हुए जिला स्तर पर DIP मे AIBP मद के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाय। परंतु अभिलेखों मे देखा गया हैं कि खंड द्वारा उक्त योजना को PMKSY मे सम्मिलित नही किया गया।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि मासिक प्रगति आख्या 03/2018 के आंकड़े सही हैं। खंड द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया था परंतु उच्चाधिकारियों द्वारा अभी तक स्वीकृति प्रदान नही की गई हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि `19.58लाख का व्यय किए जाने के बावजूद योजना अपूर्ण हैं।

अत: ए0आई0वी0पी0 मद मे `19.58लाख के निर्थक व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तरः- 1 ` 268.42 लाख की सृजित देनदारीयां।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, उत्तरकाशी के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक जिला योजना के अंतर्गत 246 कार्यों को संपादित करने हेतु `861.8 लाख की वित्तीय स्वीकृति मिली थी जिसमे से केवल `381.73 लाख ही अवमुक्त हुए। अभिलेखों मे आगे देखा गया हैं कि खंड द्वारा जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक कुल `268.42 लाख की सृजित देनदारीयां हैं

संप्रेक्षा द्वाराइंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त न होने के कारण एवं कार्य अति आवश्यक होने के कारण देनदारीयों का सृजन हुआ। जिसे समय समय पर जिलाधिकारी को सूचित किया जाता हैं।

अत: खंड द्वारा `268.42 लाख की सृजित देनदारीयों का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षणप्रतिवेदन संख्य	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	02/2004-05	----	2	
2.	46/2005-06	----	2	
3.	05/2006-07	----	1,2,3	
4.	53/2011-12	2	1	
5.	43/2017-18	----	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग-v

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री प्रेम सिंह पंवार	अधिशासी अभियन्ता
(2)	श्री जी0 पी0 सिलवाल	अधिशासी अभियन्ता

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. मो0 नौशाद आलम
2. श्री प्रशान्त कीमोठी
3. श्री विनय कुमार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र-।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2